



राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश
विशाल काम्प्लेक्स, 19 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ



प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक – एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FW/70-4/2016-17/6127-75 दिनांक : 7-10-2016
विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधि क्रियान्वयन हेतु बजट
आवंटन एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।


महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 वर्ष 2016-17 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि एस.पी.एम.यू. स्तर से जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा निर्देश भी पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं। अवमुक्त धनराशि को आवंटित सीमा तक वित्तीय नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार नियमानुकूल उपयोगित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक

पत्रांक : – एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FW/70-4/2016-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, एस.पी.एम.यू., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक – एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FW/70-4/2016-17

दिनांक : 7.10.2016
09.2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधि क्रियान्वयन हेतु बजट आवंटन एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 वर्ष 2016-17 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि एस.पी.एम.यू. स्तर से जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा निर्देश भी पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं। अवमुक्त धनराशि को आवंटित सीमा तक वित्तीय नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार नियमानुकूल उपयोगित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक : – एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FW/70-4/2016-17 | 6127-75(5)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, एस.पी.एम.यू., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक